UPSR010010212026

न्यायालय Special Judge(SC/ST), Shravasti

पीठासीन अधिकारी– (Awanish Gautam), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) –**

UP01682

जमानत आवेदन-पत्र संख्या- 392/2026

1– नसीर अहमद उम्र 44 वर्ष पुत्र अलादीन,

2– पूनू उर्फ साबिर अली उम्र 28 वर्ष पुत्र मो0 नसीर,3– आरिफ उम्र 20 वर्ष पुत्र मो0 नसीर, निवासीगण पिपरहवा रंजीत पुर थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती।

————————प्रार्थी/अभियुक्तगण

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश ——————————अभियोगी।

अपराध संख्या 275/2025

अन्तर्गत धारा 115 (2), 352, 351 (3) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3 (1) (द) (ध) व 3 (2) (va)एस0सी0/एस0टी0 एक्ट

थाना सिरसिया, जनपद श्रावस्ती।

निस्तारण प्रार्थना पत्र जमानत

दिनांक 01–06–2026

यह जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र ई–फाइलिंग के उपरान्त इस न्यायालय को दिनांक 22–05–2025 को प्राप्त हुआ।

अभियुक्तगण नसीर अहमद, पूनू उर्फ साबिर अली व आरिफ की ओर से आत्म समर्पण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

अभियुक्तगण नसीर अहमद, पूनू उर्फ साबिर अली व आरिफ की ओर से यह नियमित जमानत प्रार्थना पत्र अपराध संख्या 275/2025 अन्तर्गत धारा 115 (2), 352, 351 (3) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3 (1) (द) (ध) व 3 (2) (va) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत

किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में अभियुक्तगण ने कथन किया है कि अभियुक्तगण का कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय पर न तो दिया गया है और न ही विचाराधीन है।

वादी मुकदमा पूर्व में उपस्थित आ चुका है परन्तु आज वह उपस्थित नहीं है और न ही उसकी तरफ से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया है।

जमानत आवेदन पर विद्वान ए0डी0जी0सी0 व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना।

संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 09–07–2025 को शाम समय करीब 7 बजे विपक्षीगण ने पुरानी रंजिश की बात को लेकर बहेला गाय को मेरे घर में घुसा दिया जब मैं इस बात की शिकायत वादिनी मुकदमा करने लगी तो विपक्षीगण मुझे मारने पर उतारू हो गये गांव के लोगो ने बीच बचाव करा दिया इसी से नराज होकर विपक्षीगण रात में ग्यारह बे मेरे घर में आकर मुझे जातिसूचक गालियां दी लात मुक्का थप्पड़ से मारा पीटा। मुझे बचाने आई जेठानी को भी मारे पीटे जिससे चोटे आई। विपक्षीगण ने जान से मारने की धमकी दिया।

अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण तथा कथित घटना से अनभिज्ञ हैं उन्हें परेशान करने के लिए इस मामले में फंसाया गया है। वादी ने फर्जी साक्ष्यों के आधार पर मनगढ़न्त घटना बनाकर अभियुक्तगण को फंसा दिया है। अभियुक्तगण को उचित जमानत व मुचलके पर रिहा किया जाये।

विद्वान ए0डी0जी0सी0 द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में लिये गये आधारों पर तर्क प्रस्तुत करते हुए जमानत की याचना की गयी।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा घटना की तिथि समय व स्थान पर वादी को मारा पीटा गया, गालियां दी एवं जान से मारने की धमकी दी तथा जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर उसे जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया गया। दूसरी ओर अभियुक्तगण द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में अभियोजन कथानक से पूर्णतया इन्कार करते हुए कथन किया कि उन्होने कोई अपराध कारित नहीं किया है मात्र अभियुक्तगण को परेशान करने के लिए प्रस्तुत मामले मे फर्जी फंसा दिया गया है। प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण को कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है। अभियुक्तगण पूर्व में अन्तरिम जमानत पर थे, उन्होने अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त

है।

आदेश

अभियुक्तगण नसीर अहमद, पूनू उर्फ साबिर अली व आरिफ प्रत्येक द्वारा 50–50 हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू दाखिल करने पर उन्हें इन शर्तो के अधीन जमानत पर निर्मुक्त किया जाता है कि वे विचारण के दौरान साक्षियों को न तो डरायेंगे न धमकी देंगे तथा विचारण की कार्यवाही बाधित नहीं करेंगे।

(अवनीश गौतम)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
श्रावस्ती।